



प्रेषक,

अन्नावि दिनेशकुमार,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,

लखनऊ।

गृह(पुलिस) अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 06-03-2026

विषय:- 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में स्थित बहुउद्देशीय बेडमिन्टन हाल की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या-ग्यारह-63-2021(99) दिनांक 08.01.2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में स्थित बहुउद्देशीय बेडमिन्टन हाल की मरम्मत का कार्य हेतु शासनादेश संख्या- 854/2024/II/829298/2024/001-6-7099- 168-2023 दिनांक 19.12.2024 द्वारा धनराशि रू0 319.01 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी। प्रश्रुत कार्य हेतु लेबर सेस एवं सेन्टेज पर जीएसटी की गणना करते हुए धनराशि रू0 318.75 लाख की लागत पर संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रश्रुत कार्य हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 19.12.2024 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 319.01 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 26,000/- (रू0 छब्बीस हजार मात्र) ब्याज सहित राजकोष में जमा किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

नियम/शर्तें-

- (1) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
- (2) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/ क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना शासन के पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (3) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1 के शासनादेश दि0 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/ मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (6) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 26-08-2014 एवं दि0 15.06.2018 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
- (7) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
- (8) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु- 2 के शा0दि0 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।
- (9) प्रायोजना हेतु जीएसटी की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।
- (10) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटी श्रेणी के कार्य है एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभाविक है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (11) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्युत संयोजन हेतु धनराशि विद्युत विभाग द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित प्राप्त आगणन के अनुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगी।
- (12) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-01 /2023/ ए-2-60 /दस-2023-17 (4)/ 75 दिनांक 17.05.2023 एवं 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13) उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रश्रुत प्रयोजना की भौतिक प्रगति, धनराशि अवमुक्त तथा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर दर्ज किये जाने आदि के सम्बन्ध में नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07.06.2022 में निहित प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (14) जी0एस0टी0 गणना की शुद्धता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय का होगा।
- (15) किसी भी अनियमितता हेतु उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय/कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगे।
- (16) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्रावधानों समय – समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (17) प्रश्रुत कार्य हेतु पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 19.12.2024 में अंकित शर्तों के अधीन अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
- 2- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय जाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अन्नावि दिनेशकुमार
विशेष सचिव।

संख्या-157/2026/1/1257752/2026/6-7099/168/2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
5. संबंधित जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
8. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
9. संबंधित मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
12. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,
दीपक पटेल
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।